मनोरंजन कर विभाग

15-The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use

यदि कोई व्यक्ति विभाग के कार्यों से सम्बंधित कोई जानकारी चाहता है तो वह प्रदेश स्तर पर मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय एवं जनपदों में विभागीय कार्यालयों से संपर्क कर सूचना प्राप्त कर सकता है। विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बंध में संपूर्ण जानकारी जनपद कार्यालय में प्रत्येक समय उपलब्ध रहती है। सिनेमागृहों के कुल टिकट मूल्य में मनोरंजन कर एवं nett (सिनेमा स्वामी का अंश) अंकित रहता है, जिससे जनता को सूचना सुलभ रहे। जनपद में संचालित केबिल टी.वी. नेटवर्क की कनेक्शनों की संख्या, उनके द्वारा लिया जा रहा मासिक शुल्क इत्यादि का विवरण जनपद कार्यालयों में उपलब्ध रहती है। प्रत्येक केबिल आपरेट अपने उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले मासिक शुल्क की रसीद एवं रजिस्ट्रेशन कार्ड उपभोक्ताओं को देने हेतु बाध्य है। यदि कोई केबिल आपरेटर इसका उल्लंघन करता है तो इसकी शिकायत सम्बंधित जनपदीय कार्यालय अथवा मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय में की जा सकती है। विभाग में वर्तमान में कोई पुस्तकालय या रीडिंग रूप की सुविधा जन सामान्य के लिये उपलब्ध नहीं है किंतु यदि कोई व्यक्ति विभाग से सम्बंधित कोई नियम/अधिनियम की जानकारी करता है तो उसे उपलब्ध करा दी जाती है। विभाग से सम्बंधित विभिन्न सूचनाओं को विभागीय वैब साइट etax.up.nic.in पर भी उपलब्ध कराया गया है।

वापस मुख्य पृष्ठ